<u>कार्यालय सचिव, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।</u>

पत्र संख्या – 7223/22 दिनॉक – 27.7.22

<u>कार्यालय आदेश</u>

वर्ष 2022 में उ0प्र0 शासन द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा जिन संस्थानों को सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है, ऐसे समस्त डिप्लोमा नर्सिंग/पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्रों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 04.04.2022 के क्रम में सत्र् 2021–22 के सप्लीमेन्ट्री बैच (फरवरी–2023) में प्रवेशित अभ्यर्थियों का कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर अपने सेन्टर लॉग–इन पैनल के स्टूडेन्ट पैनल में दिनॉक **31.07.2022** तक इन्रोलमेन्ट कर उपस्थिति (बायोमेट्रिक) को भेजना सुनिश्चित करें। जिससे कि प्रशिक्षण में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का पठन/पाठन सुचारू रूप से संचालित हो सके।

दिनॉक 31.07.2022 के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी का इन्रोलमेन्ट सत्र् 2021–22 के सप्लीमेन्ट्री बैच (फरवरी–2023) में नहीं किया जा जायेगा।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

कार्यालय सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।

पत्र संख्या – 3117/22 दिनॉक – 04.04.2022

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्या–3036/22 दिनॉक 02.04.2022 के क्रम में सम्बधित अर्ह संस्थाओं को अवगत कराना है कि नर्सिंग प्रशिक्षणों हेतु इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा निरीक्षण किया जाना है।

उक्त हेतु समस्त जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 अर्ह संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 प्रति प्रशिक्षण के लिए रू0 50,000+9,000=59,000/– (जी0एस0टी0 सहित) **<u>डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी</u>** के पक्ष में बनवाकर तत्काल भेजने का कष्ट करें, जिससे कि आपके संस्थान में कार्यरत टीचिंग फैकल्टी, क्लीनिकल सुविधाओं इत्यादि का निरीक्षण कराकर कार्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

चूँकि इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के पत्र संख्या–1-6/LT/2022-INC दिनॉक 01.04.2022 द्वारा प्रशिक्षण सत्र् 2021–22 में छात्रों के प्रवेश की अन्तिम तिथि 07 अप्रैल, 2022 निर्धारित की गयी है। अतः यदि संबंधित जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 संस्थान प्रशिक्षण सत्र् 2021–22 में छात्रों का प्रवेश लेना चाहते है तो वे उक्त निर्धारित शुल्क के साथ प्रवेशित छात्रों की सूची भी दिनॉक 07.04.2022 तक कार्यालय की ई–मेल/डाक के माध्यम से निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा किये गये निरीक्षण में अर्ह पाये जाने की दशा में दिनॉक 07.04.2022 तक उपलब्ध कराये गये सूची में शामिल छात्रों का इनरोलमेन्ट किया जा सकेगा। यदि संस्थान निरीक्षण में अर्ह नहीं पाया जाता है तो उक्त छात्रों का इनरोलमेन्ट कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संस्था उत्तरदायी होगी।

आज्ञा से
सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।